न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :— निशा, R.A.S.
प्रकरण संख्या :— 122/2017
दायर दिनांक :— 01.08.2017

श्री थाना पिता वगता जी जाति रेबारी उम्र 60 वर्ष निवासी खोखा ढ़ाणी पटवार क्षेत्र कोठारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

—— वादी

बनाम

1. श्री हजारी पिता वगता जी जाति रेबारी उम्र वयस्क
2. श्री शंकर पिता स्व. बगा जी जाति रेबारी उम्र वयस्क
3. श्री प्रभु पिता स्व. बगा जी जाति रेबारी उम्र वयस्क
4. श्रीमती सायरी देवी पुत्री स्व. बगा जी जाति रेबारी उम्र वयस्क.
5. श्री भेरूलाल पिता स्व. बगा जी जाति रेबारी उम्र वयस्क
6. श्रीमती सीता देवी पुत्री स्व. बगा जी जाति रेबारी उम्र वयस्क
7. श्रीमती दाखी बाई पत्नी स्व. बगा जी जाति रेबारी उम्र वयस्क
   सभी निवासी खोखा ढ़ाणी पटवार क्षेत्र कोठायि तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खमनोर जिला राजसमन्द

—— प्रतिवादीगण

राजस्व वाद :— घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित :— 1. अधिवक्ता वादी श्री गणपत कोठारी।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 7 मय अधिवक्ता श्री वगतराम डांगी।

: : निर्णय : :

दिनांक :— 17-1-18

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम खोखाढ़ाणी तहसील नाथद्वारा स्थित वादग्रस्त भूमियों के खातेदार 2067 से 70 की राजस्व जमाबंदी में थाना, बगा, हजारी पिता वगता रेबारी के नाम पर संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य में दर्ज थी। बगा पिता वगता की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण संख्या 243 दिनांक 18.01.2013 को विरासत से बगा पिता वगता के बजाय डाकी बाई बेवा बगा, शंकरलाल, प्रभुलाल, सायरीदेवी, भैरूलाल, सीतादेवी पिता बगा के नाम पर दर्ज करने की स्वीकृति हुई तथा राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के नाम पर बगा पिता वगता का 1/3 हिस्सा दर्ज हुआ। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 उक्त भूमियों पर अपने हिस्से अनुसार आपसी सहमति से मौखिक विभाजन कर काश्त करते आ रहे थे। परन्तु विधिवत विभाजन नहीं हुआ। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने आपसी सहमति से विभाजन के लिए आवेदन किया। पटवार हल्का कोठारिया ने जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया वह मन मकसूद तरीके से तैयार कर प्रस्तुत कर दिया जिससे राजस्व केम्प में पटवारी के प्रस्ताव अनुसार विभाजन की डिक्रि पारित कर दी। पक्षकारों के मध्य जो विभाजन हुआ वह मौके पर न तो कब्जे अनुसार

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Scanned by CamScanner

हुआ न ही राजस्व रेकर्ड के अनुसार हुआ। उक्त भूमियों में वादी को 1/3 हिस्सा यानि साढे इक्कसी बिस्वा भूमि मिलनी चाहिए थी परन्तु पटवार हल्का ने जो प्रस्ताव तैयार किया उसमें वादी को मात्र 15 बिस्वा भूमि दी जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को 25 बिस्वा एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 7 को 25 बिस्वा भूमि दी गई। इसलिये उक्त भूमियों में वादी अपने नाम साढे छ बिस्वा अपने नाम पर घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती कराने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के विरूद्ध इस आशय की घोषणा की डिक्रि प्रचलित फरमाई जावें कि वादी का उक्त भूमियो में 1/3 हिस्सा अर्थात साढे इक्कीस बिस्वा भूमि वादी के हिस्से में आती है परन्तु वादी को 15 बिस्वा ही आई अर्थात साढे 6 बिस्वा उक्त कृषि भूमियों में घोषणा की डिक्रि प्रचलित फरमाई जावें एवं तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किये जाने का आदेश करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 स्वयं उपस्थित होकर वादी के उक्त वाद का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी रेकर्ड में पुनः दुरूस्त कराना चाहता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त जवाब दावे के साथ प्रतिवादी संख्या 1 से 7 द्वारा नक्शा ट्रेस, विभाजन फेहरिस्त एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने जो वाद प्रस्तुत किया है जिस पर प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर वर्तमान में जो आराजी संख्या 499/11 रकबा 0–08 दर्ज है उक्त आराजी में से 0–01–02 बीघा एवं आराजी नम्बर 500/10 रकबा 0–07 में से 0–02–05 बीघा वादी के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज फरमाई जावें। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के नाम पर दर्ज आराजी संख्या 10 रकबा 0–19 में से 0–02–15 बीघा तथा आराजी नम्बर 501/11 रकबा 0–02 में से 0–0–11 बीघा भूमि वादी के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज फरमाई जावें। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी का उपरोक्त राजीनामा अनुसार वाद डिक्रि फरमाया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व ग्राम खोखाढाणी तहसील नाथद्वारा के नामान्तरकरण की प्रति से भूमियां **सहमति विभाजन से** जरिये नामान्तरकरण संख्या 246 दिनांक 18.01.2013 से आराजी नम्बर 9 रकबा 0–01, 11/3 रकबा 0–01, 11/4 रकबा 0–03, 10/2 रकबा 0–10 कुल किता 4 कुल रकबा 0–15 वादी थाना पिता वगता रेबारी, आराजी नम्बर 11/1 रकबा 0–08 बीघा, 10/1 रकबा 0–17 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 01–05 बीघा प्रतिवादी संख्या 2 हजारी पिता वगता रेबारी एवं आराजी नम्बर 11 रकबा 0–04, 11/2 रकबा 0–02 बीघा, 10 रकबा 0–19 कुल किता 03 कुल रकबा 01–05 बीघा प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के नाम पर दर्ज होना प्रकट होता है। पत्रावली पर ही उपलब्ध राजस्व ग्राम खोखाढाणी तहसील नाथद्वारा की जमाबंदी संवत् 20[illegible]–70 के अवलोकन से खाता संख्या 27 में वर्णित कुल आराजी किता 03 कुल रकबा 03–05 बीघा भूमिया थाना, बगा, हजारी पिता वगता रेबारी सा. देह खातेदार के नाम पर दर्ज थी। जो बगा पिता वगता रेबारी के फोत होने से बगा पिता वगता के बजाय प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम पर दर्ज हुई। वादी का कथन है कि वादीग्रस्त भूमियां थाना, बगा, हजारी पिता वगता के नाम पर संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा निहित था। आपसी सहमति से विभाजन पश्चात् वादी को उक्त भूमियों में 0–15 बीघा भूमि ही प्राप्त हुई जबकि 1/3 हिस्से अनुसार साढे ईक्कीस बिस्वा भूमि वादी के नाम पर दर्ज होनी चाहिए थी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
[illegible] जिला राजसमन्द

Scanned by CamScanner

इसलिये वादी द्वारा अपने साढे 6 बिस्वा भूमि की घोषणा हेतु उक्त वाद पेश किया है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 द्वारा अपने जवाब दावे में राजस्व रेकर्ड में पुनः दुरूस्ती कराने हेतु प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया एवं वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में निवेदन है किया है कि राजीनामा के साथ संलगन नक्शा ट्रेस एवं विभाजन फेहरिस्त अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने हेतु सहमत है। अतः वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है :–

आदेश

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम खोखा ढाणी तहसील नाथद्वारा के खाता संख्या 30 में वर्णित श्री थाना पिता वगता रेबारी की खातेदारी की आराजी नम्बर 9 रकबा 0–01 बीघा, 496/11 रकबा 0–01 बीघा, 497/11 रकबा 0–03 बीघा, 498/10 रकबा 0–10 बीघा कुल आराजी किता 04 कुल रकबा 0–15 बीघा के बजाय **आराजी नम्बर 9 रकबा 0–01 बीघा, 496/11 रकबा 0–01–08 बीघा, आराजी नम्बर 497/11 रकबा 0–04–05 बीघा, 498/10 रकबा 0–15 बीघा कुल आराजी किता 04 कुल रकबा 01–01–13 बीघा लगान रू. 4.28/–** का खातेदार, खाता संख्या 35 में वर्णित श्रीमती दाखीबाई बेवा बगा, शंकरलाल, प्रभुलाल, सायरीदेवी, भेरूलाल, सीतादेवी, पिता वगा रेबारी के खातेदारी की आराजी नम्बर 10 रकबा 0–19 बीघा, 11 रकबा 0–04 बीघा, 501/11 रकबा 0–02 बीघा कुल आराजी किता 03 कुल रकबा 01–05 बीघा के बजाय **आराजी नम्बर 10 रकबा 0–16–05 बीघा, 11 रकबा 0–04–00 बीघा, 501/11 रकबा 0–01–09 बीघा कुल आराजी किता 03 कुल रकबा 01–01–14 बीघा लगान रू. 4.09/–** का खातेदार तथा खाता संख्या 103 में वर्णित श्री हजारी पिता वगता रेबारी की खातेदारी की आराजी नम्बर 499/11 रकबा 0–08 बीघा, 500/10 रकबा 0–17 बीघा कुल आराजी किता 02 कुल रकबा 01–05 बीघा के बजाय **आराजी नम्बर 499/11 रकबा 0–06–18 बीघा, 500/10 रकबा 0–14–15 बीघा कुल आराजी किता 02 कुल रकबा 01–01–13 बीघा लगान रू. 4.28/–** का खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो। डिक्रि पर्चा जारी होकर पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 17-1-18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निशा)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

Scanned by CamScanner

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

कार्यालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नाथद्वारा जिला – राजसमन्द

इजलास – निशा, RAS

प्रकरण संख्या :– 122/2017 राजस्व–वाद

निर्णय दिनांक :– 17.01.2018

श्री थाना पिता वगता जी जाति रेबारी निवासी खोखा ढाणी तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द –– वादी	**बनाम**	श्री हजारी पिता वगता जी जाति रेबारी निवासी खोखा ढाणी तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द वगैरह –– प्रतिवादीगण

(विस्तृत अनवान पीछे दर्ज है)

<u>वाद :– घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे हाजरी अधिवक्ता वादी श्री गणपत कोठारी एड. मिनजानिब मुद्दई एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 मय अधिवक्ता श्री वगतराम डांगी एड. मिनजानिब मुहायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम खोखा ढाणी तहसील नाथद्वारा के खाता संख्या 30 में वर्णित श्री थाना पिता वगता रेबारी की खातेदारी की आराजी नम्बर 9 रकबा 0–01 बीघा, 496/11 रकबा 0–01 बीघा, 497/11 रकबा 0–03 बीघा, 498/10 रकबा 0–10 बीघा कुल आराजी किता 04 कुल रकबा 0–15 बीघा के बजाय **आराजी नम्बर 9 रकबा 0–01 बीघा, 496/11 रकबा 0–01–08 बीघा, आराजी नम्बर 497/11 रकबा 0–04–05 बीघा, 498/10 रकबा 0-15 बीघा कुल आराजी किता 04 कुल रकबा 01–01–13 बीघा लगान रू. 4.28/–** का खातेदार, खाता संख्या 35 में वर्णित श्रीमती दाखीबाई बेवा बगा, शंकरलाल, प्रभुलाल, सायरीदेवी, भेरूलाल, सीतादेवी, पिता वगा रेबारी के खातेदारी की आराजी नम्बर 10 रकबा 0–19 बीघा, 11 रकबा 0–04 बीघा, 501/11 रकबा 0–02 बीघा कुल आराजी किता 03 कुल रकबा 01–05 बीघा के बजाय **आराजी नम्बर 10 रकबा 0–16–05 बीघा, 11 रकबा 0–04–00 बीघा, 501/11 रकबा 0–01–09 बीघा कुल आराजी किता 03 कुल रकबा 01–01–14 बीघा लगान रू. 4.09/–** का खातेदार तथा खाता संख्या 103 में वर्णित श्री हजारी पिता वगता रेबारी की खातेदारी की आराजी नम्बर 499/11 रकबा 0–08 बीघा, 500/10 रकबा 0–17 बीघा कुल आराजी किता 02 कुल रकबा 01–05 बीघा के बजाय **आराजी नम्बर 499/11 रकबा 0–06–18 बीघा, 500/10 रकबा 0–14–15 बीघा कुल आराजी किता 02 कुल रकबा 01–01–13 बीघा लगान रू. 4.28/–** का खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो।

नीज –.....–.....मुबलिज –.........–.........बाबत् –........–........ खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर ....–....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक – ....–....को अदा करे।

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.01.2018 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

(उपखण्ड अधिकारी) नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

मुद्दई	रूपया पैसा	मुद्दायलह	रूपया पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प हाजरी	
स्टाम्प बजह सबूत		मेहनताना वकील पर	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान्	
खर्चा गवाहान्		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत् इजराय हुक्मनामा	
बाबत् इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	
मुतफरिक			
मिलान		मिलान	

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करने चाहिये।

Scanned by CamScanner

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नाथद्वारा जिला – राजसमन्द

बइजलास – निशा RAS

प्रकरण संख्या – 122 / 2017 राजस्व–वाद

निर्णय दिनांक – 17.01.2018

अनवा

श्री थाना पिता वगता जी जाति रेबारी उम्र 60 वर्ष निवासी खोखा ढाणी पटवार क्षेत्र कोठारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

–– वादी

बनाम

1. श्री हजारी पिता वगता जी जाति रेबारी उम्र वयस्क
2. श्री शकर पिता स्व. बगा जी जाति रेबारी उम्र वयस्क
3. श्री प्रभु पिता स्व. बगा जी जाति रेबारी उम्र वयस्क
4. श्रीमती सायरी देवी पुत्री स्व. बगा जी जाति रेबारी उम्र वयस्क
5. श्री भेरूलाल पिता स्व. बगा जी जाति रेबारी उम्र वयस्क
6. श्रीमती सीता देवी पुत्री स्व. बगा जी जाति रेबारी उम्र वयस्क
7. श्रीमती दाखी बाई पत्नी स्व. बगा जी जाति रेबारी उम्र वयस्क

सभी निवासी खोखा ढाणी पटवार क्षेत्र कोठायि तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खमनोर जिला राजसमन्द

–– प्रतिवादी

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

Scanned by CamScanner